कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्र./तक–4/कृषि आदान/2019–20/8549 दुर्ग, दिनांक 27.03.20

जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना (COVID-19) वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु दवा एवं दैनिक उपयोग की अत्यावश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है। जिले में विभिन्न फसलों हेतु उर्वरक एवं बीज की समय–समय पर आवश्यकता संभावित है, तथा कृषकों द्वारा भी मैदानी कर्मचारियों से इस संबंध में संपर्क भी किया जा रहा है। चूंकि उर्वरक एवं बीज व्यवसाय क्रमशः "आवश्यक वस्तु अधिनियम" की धारा 03 के अंतर्गत गठित "उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985" एवं "बीज (नियंत्रण) आदेश 1983" से परिचालित होते है, इस प्रकार ये दोनो कृषि आदान "आवश्यक वस्तु" की श्रेणी में आते है। अतः कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इनसे संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निम्न शर्तो के अधीन परिचालित करने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

- व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें। Social distancing की सख्ती से पालन की जावें।
- दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जावें तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
- उर्वरक विक्रय हेतु प्रयुक्त की जाने वाली "पी.ओ.एस. (POS Machine) जिस पर कृषक को अंगूठा लगाना होता है, अनिवार्यतः सेनिटाइज की जावें तथा ऐसा प्रत्येक उपयोग के उपरांत किया जावें।
- प्रतिष्ठानों की व्यवसाय की अवधि प्रातः 09 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

27/3/20

(अंकित आनंद)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्र./तक–4/कृषि आदान/2019–20/8550 दुर्ग, दिनांक 27.03.20

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला–दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप संचालक कृषि/उद्यान, जिला–दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग/पाटन/धमधा, जिला–दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
7. तहसीलदार/व.कृ.वि.अ., दुर्ग/पाटन/धमधा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. आदेश नस्ती।

27/3/20

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with CamScanner